न्यायालय अपर समाहर्त्ता,
खगड़िया

जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं० 05/2003-04

मो० इसराइल मंसुरी
बनाम
इजहार खाँ वगैरह

आदेश

27.09.14

यह वाद भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोगरी के पत्रांक 03 दिनांक 2.01.2014 द्वारा जमाबंदी रद्दीकरण हेतु अनुशंसा के साथ प्राप्त हुआ है। उन्होंने निम्न लिखित ब्योरे की भूमि की जमाबंदी रद्द करने हेतु अनुशंसा की है :-

मौजा	थाना	खाता	खेसरा	रकबा (बि०-क०-धु०)
काजीचक	297/1	139	153	00-09-10

विद्वान भू०सु० उपसमाहर्त्ता, गोगरी ने अपने आदेश दिनांक 7.8.13 में विवादी भूमि का विस्तृत वर्णन करते हुए प्रश्नगत भू-खण्ड को गैर मजरुआ आम बताया है तथा कब्रिस्तान के रूप में आमलोगों द्वारा उपयोग में लाने की बात कही है। परन्तु इसी भू-खण्ड की जमाबंदी सं. 31 प्रतिवादी इजहार खाँ की माँ साबरा खातुन के नाम से अवैध रूप से कायम हो गया है ~~जबकि~~ क्योंकि उनके न्यायालय में सुनवाई के दौरान विपक्षी इजहार खाँ पे० स्व० छेदी खाँ या जमाबंदी रैयत साबरा खातुन किन्हें व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होने हेतु निर्गत सूचना भू०सु० उपसमाहर्त्ता, गोगरी द्वारा दी गयी थी परन्तु उक्त भूमि की जमाबंदी कायम करवाने संबंधी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके। मात्र बयान रसीद से स्वत्व प्रमाणित नहीं होता है।

Received for filed 04/04/15

बिहार भू०सु० उपसमाहर्त्ता, गोगरी ने अपने
उल्लेखित किया है कि मौजा काजीचक का सर्वे
में उपलब्ध नहीं है परन्तु इनका कार्यालय में
फिक्स्ड कुमारत के जिल्दवार खतियान एवं ना
उपलब्ध सर्वे खतियान के खेसरा प्रति की छायाप्रति
(इस अभिलेख में उपलब्ध) के अनुसार मौजा काजीचक, थाना
नं- 297/1 खाता नं- 139 खेसरा- 153 रकबा 0.42
((कमालीस) डिसमल गत सर्वे में गैर मजरूआ आम
के रूप में अभिलिखित है। स्थल पर पूर्व से ही
कब्र के चिन्ह मौजूद है और सर्वे खतियान खेसरा
प्रति के मुताबिक जमीन की किस्म कब्रिस्तान दर्ज
है। बिना स्वत्व संबंधी कागजात को साबरा खातुन के नाम
गैर मजरूआ आम भूमि की जमाबंदी सं. 31 कायम
होना अवैध बताते हुए उसे रद्द करने की अनुशंसा
की गयी है।

इस न्यायालय द्वारा भी उभयपक्ष को नोटिस देकर
सुना गया। आवेदक ने लिखित बहस भी दाखिल किया
है। विपक्षी भी आपत्ति आवेदन दिया है।
आवेदक ने विवादी भूमि को कब्रिस्तान बताया है।
उन्होंने जमीन गैर मजरूआ आम कब्रिस्तान दावा किया
है और नक्शा में कब्र का चिन्ह भी बना हुआ है
दाखिल किया है। नक्शा की छायाप्रति (सर्वे नक्शा) अभिलेख
में संलग्न है। उसे देखा।

आपत्तिकर्त्ता मो० इजहार खाँ पे० स्व० मो० नेयाज खाँ
ग्राम- सालिमनगर, थाना- महेशखूट, जिला- खगड़िया
ने अपने आपत्ति आवेदन पत्र में कहा है उक्त
विवादी भूमि की जमाबंदी सं. 31 उनकी माता
बीबी साबरा खातुन के नाम जमींदारी उन्मूलन
के समय से अनवरत चली आ रही है।
उन्होंने आगे कहा है कि भूतपूर्व जमींदार डा० मंजुरूल
... द्वारा उक्त विवादी भूमि उनकी माता साबरा

खातून के साथ बन्दोबस्त किया गया था, परन्तु आपत्तिकर्त्ता ने बन्दोबस्त संबंधी कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया है। उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि विवादी भूमि गैरमजरुआ आम है एवं कब्रिस्तान के रूप में सार्वजनिक उपयोग में है जिसे उभयपक्षकारों ने भी स्वीकार किया है। द्वितीयतः विपक्षी ने स्वत्व संबंधी कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया। भूतपूर्व जमींदार द्वारा बन्दोबस्ती करने की बात भी विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है क्योंकि गैर मजरुआ आम जमीन की बन्दोबस्ती की शक्ति भूतपूर्व जमींदार को प्रदत्त नहीं थी। बिहार भू० सु० उपसमाहर्त्ता, गोगरी ने भी जमाबंदी रद्द करने की स्पष्ट अनुशंसा की है।

अतः बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 की धारा 9(1) के प्रावधान के तहत मौजा काजीचक थाना नं० 293/1 खाता-139 खेसरा 153 रकबा 00-07-10 (0.42 डिसमल) की जमाबंदी सं-31 जोहरा खातून पति स्व० मंजाज के नाम अवैध रूप से कायम होना प्रमाणित होने के फलस्वरूप उसे रद्द किया जाता है। इस आदेश के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

(हस्ताक्षर)
27.9.14
अपर समाहर्त्ता,
खगड़िया

डी० बी० न० - 121 / दिनांक - 31-3-2015

प्रतिलिपि :- भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोगरी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- N.i.c, खगड़िया को सूचनार्थ एवं वेबसाइट पर अपलोड हेतु प्रेषित।

अपर जिला दण्डाधिकारी समाहरणालय, खगड़िया

अपर समाहर्त्ता,
खगड़िया।

डी०बी०क्र-121
N.i.c, खगड़िया